भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2264
उत्तर देने की तारीख 20 मार्च, 2025

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क

2264 श्री रामजी लाल सुमनः

क्या *संचार* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चरण-1 में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा डाली गई ऑप्टिकल फाइबर केबल की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई गई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, गुजरात और राजस्थान राज्य में बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल की गहराई सतह से लगभग एक फुट ही नीचे है;

(ग) क्या विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को कार्य देने के लिए सीएससी का गठन किया गया था और दूरसंचार आयोग के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी; और

(घ) क्या सीएससी के काम की गुणवत्ता निम्न स्तर की है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) इस मंत्रालय को अब तक भारतनेट पर कोई सीएजी ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी), एक विशेष प्रयोजन तंत्र है जो सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। सीएससी द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) परियोजनाओं के लिए डिजिटल संचार आयोग (पूर्ववर्ती दूरसंचार आयोग) द्वारा 3,960 करोड़ रु. की अनुमानित लागत को अनुमोदित किया गया था।

*****